(शुद्धि–पत्र)

23 दिसम्बर 2016

सं० **84104–84117**—उच्च न्यायालय के अधिसूचना संख्या 551 नि0 और 552 नि0 दिनांक 19.12.2016 जिसके के द्वारा पदाधिकारियों को जहानाबाद जिला के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गई थी को इस हद तक संशोधित किया जाता है की जहानाबाद के स्थान पर अरवल पढ़ा जाय।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
पी0सी0 जसवाल, महानिबंधक।

The 23rd December, 2016

No. 84104-84117— The name of the District for which the Magisterial powers of 1st Class have been vested to the officers, vide Court's Notification No. 551A and 552A dated 19.12.2016 stands modified to the extent that the same shall read as **'Arwal'** in place of **'Jehanabad'.**

By Order of the High Court,
P.C. Jaiswal, **Registrar General.**

सं० एसीस 03/नि०–02/2017–**158**/श्र०सं०

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

21 फरवरी 2017

विषय– श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत राज्य से बाहर चिकित्सा हेतु बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों (रोगियों) को अनुशंसित करने के निमित चिकित्सा पर्षद के पुनर्गठन के संबंध में।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत कारखानों/प्रतिष्ठानों के बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राज्य से बाहर विशेषज्ञ चिकित्सा के निमित अनुशंसित करने हेतु राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद का पुर्नगठन निम्न प्रकार किया जाता है :–

(1) **निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार, पटना। (यदि निदेशक, चिकित्सा सेवा संवर्ग के हो तो) अन्यथा उप निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार, पटना।** — **अध्यक्ष**

(2) **क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, पटना प्रक्षेत्र, पटना।** — **सदस्य सचिव**

(3) **कारखाना निरीक्षक (मेडिकल), बिहार, पटना।** — **सदस्य**

(4) पर्षद के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि रोग से संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत पटना क्षेत्र के दीघा/फुलवारीशरीफ/कंकड़बाग चिकित्सालय में पदस्थापित अधिकतम दो विशेषज्ञ/चिकित्सक को बैठक में सहयोग के लिये बुला सकेगें।

(5) पर्षद की बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले रोगियों को राज्य से बाहर चिकित्सा के लिए भेजने के संबंध में अनुशंसा की जायेगी। तत्पश्चात् संबंधित रोगी राज्य से बाहर चिकित्सा के लिए जा सकेगें।

(6) पर्षद की बैठक में भाग लेने वाले पदाधिकारी बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के अन्तर्गत यात्रा भत्ता के हकदार होगें।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को ''बिहार राजपत्र'' में प्रकाशित किया जाये, तथा सभी विभागों को इसकी सूचना दे दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 50—571+50-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in